आर.ई.ओ– 210

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (आर.ई एण्ड टी डब्यलू)

क्र.जे.पी.डी / मु.अ. (आर.ई एण्ड प्लान) / अ.अ(आर.ई. एण्ड टी डब्यलू) / प.1201 / प्रे 4415 दिनांक 22.1.2010

आदेश

विषय–निरस्त की गई कृषि कनेक्शन पत्रावलियों को पुर्नजीवित करने के सम्बन्ध में।

समन्वय समिति कि दिनांक 24.12.2009 को आयोजित बैटक मे लिये गये निर्णय की अनुपालना मे निम्न आदेश दिये जाते है:–

ऐसे आवेदको जिनकी कृषि पत्रावलियों के मांग पत्र दिनांक 1.04.2007 एवं इसके बाद जारी हुए एवं जो किसी कारणवश मांग राशि जमा नहीं करवा सके एवं पत्रावलियां निरस्त हो गई हैं उन आवेदकों को मांग पत्र जमा कराने हेतु एक अवसर और दिया जाता है।

उक्त कृषि कनेक्शन पत्रावलियां निम्नलिखित प्रावधानो के तहत ही पुर्नजीवित की जावेगी–

1. आवेदक जिनकी कृषि कनेक्शन पत्रावलियां मांग पत्र की राशि जमा न करवाने के कारण निरस्त हो गयी है, उन्हें निगम द्वारा पुर्नजीवित करने के लिये 500/– रू. जमा करवाने हेतु दिनांक 31.1.2010 तक रजिस्ट्र्ड पत्र द्वारा सूचित किया जावेगा।
2. मांग पत्र की राशि 16.02.2010 से 28.02.2010 तक जमा करानी होगी अन्यथा पत्रावली अन्य किसी सूचना के रद्द कर दी जावेगी।
3. इन पुर्नजीवित कृषि कनेक्शन पत्रावलिया की प्राथमिकता मांग पत्र की राशि जमा होने की तिथि से निर्धारित की जायेगी।

यह आदेश तीनो विद्युत वितरण निगमो पर लागू होगा।

(एम.एस.गुप्ता)
मुख्य (अभियंता आर ई एण्ड प्लान)
जयपुर डिस्कॉम, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1–उर्जा सचिव,राजस्थान सरकार,जयपुर ।

2–प्रबन्ध निदेशक,अजमेर विद्युत वितरण निगम लि,अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जोधपुर ।